FROM No.III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.O.) मुकाम जायल

गंगाराम बनाम डाऊराम आदि

किस्म मुकदमा 111,128 राजस्व न. 99/2021 सन

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 30.3.21 | प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.05.21 को पेश हो। | |
| | (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SO) जायल | |
| 4/5/21 | प्रार्थी वकील उप० \| विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त \| श्रीमान् पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से पत्रावली इत्तला होकर आगामी दिनांक 26/6/21 को पेश हो \| | |
| 24/6/21 | प्रार्थी वकील उप० \| विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त [illegible] पत्रावली [illegible] \| [illegible] अधिकारी का पद रिक्त [illegible] इत्तला होकर आगामी दि० 26/10/21 को पेश हो \| | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:21 IST
Reason: SelfAttested

26/10/2021 प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग 2021 कैम्पो में व्यस्त होने से मिशल स्थगित। आगामी दिनांक 04/01/22 को पेश हो।

4/1/2022 प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं अथवा कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनकी ओर से कोई ... लिया जाकर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के अधिवक्ता है प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत ... पुरानी मांदेया कणाबेन सेट आदि है खेतों के मध्य पुरानी ... हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सही सीमाओं का ज्ञान करने के लिए नेजाबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेजाबंदी का आवेदन स्वीकार किया जाकर नेजाबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेजाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खेत की पत्थर नेजाबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करवाकर करावें। पालना रिपोर्ट पेश होने पर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार हो। [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1586 दिनांकः– 04/01/2022

**प्रार्थी** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

| | |
|---|---|
| 1. गंगाराम पुत्र नारणाराम<br>जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी<br>पटवार मण्डल माधासर<br>तहसील बायतु (बाड़मेर) | 1. डाऊराम पुत्र साजनराम वगैरा 13<br>जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी<br>पटवार मण्डल माधासर<br>तहसील बायतु (बाड़मेर) |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**राजस्व आवेदन संख्या : 99 / 2021**

## आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – आहोणी बेनिवालों की ढाणी, पटवार मण्डल –माधासर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 746 / 303 रकबा 3.6648 हैक्टयर एवं मौजा– दर्जियों की ढाणी पटवार हल्का – माधासर तहसील –बायतु के खेत खसरा नं. 109 / 61 रकबा 3.0742 हैक्टयर व मौजा रोजियानाडी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नं. 245 रकबा 1.6261 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांकः– 04/01/2022

क्रमांक / वाद / 2021 / 1587-91

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र नारणाराम
4. विप्रार्थी श्री डाऊराम पुत्र साजनराम वगैरा 14
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु